प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष

संदर्भ
अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल में ₹32.61 लाख करोड़ के 52 करोड़ लोन मंजूर किए गए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में -

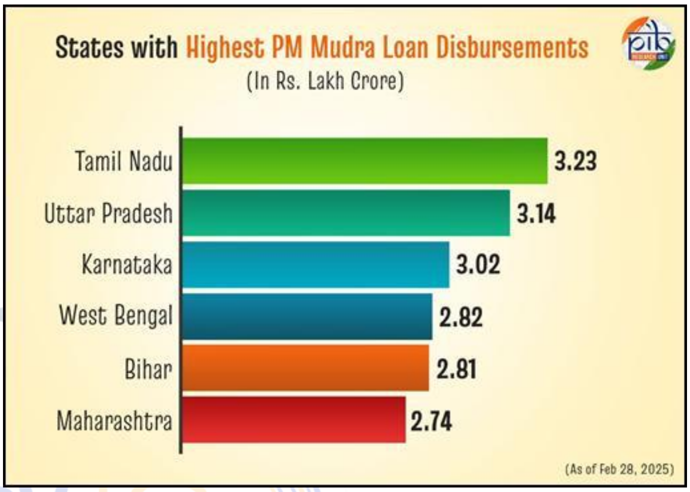

- **यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गयी।**
- **वित्तपोषण प्रावधान:**
    - **मुद्रा (MUDRA)** का मतलब **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड** है, जो सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।
    - ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, MFIs और NBFCs द्वारा दिए जाते हैं।
    - **मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं दिया जाता है।**
    - लाभार्थी सूक्ष्म इकाई के विकास के चरण और वित्तपोषण आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत तीन उत्पाद बनाए जाते हैं।
        - **शिशु**: ₹ 50,000 तक।
        - **किशोर**: ₹ 50,000 - ₹ 5 लाख।
        - **तरुण**: ₹ 5 लाख - ₹ 10 लाख।
        - **तरुण प्लस**: ₹ 10 लाख - ₹ 20 लाख (यह उन उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)।
- **माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU)** के तहत 20 लाख रुपये तक की राशि के लिए गारंटी कवरेज ऋण प्रदान किया जाएगा।
    - CGFMU एक सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करना है।
    - **2015** में स्थापित इस फंड का प्रबंधन **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा किया जाता है।
- **मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण(collateral-free loans) होते हैं।**

UPSC PYQ

प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)

(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
(b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना
(c) वृद्ध और निस्सहाय लोगों को पेंशन देना
(d) कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधीयन (फंडिंग) करना

उत्तर: (**a**)

स्रोत: **PIB - PM Mudra**

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

संदर्भ

हाल ही में, राजस्थान के सुदासरी केंद्र में एक ही सप्ताह में चार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों का जन्म हुआ, जो इस प्रजाति के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड(गोडावण) के बारे में -

- यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है।
- **आवास**: खुले घास के मैदान, शुष्क मैदान और झाड़ीदार वन।
- **रेंज**: इसकी आबादी ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी छोटी आबादी पाई जाती है।
- **विशेषताएँ:**
    - नर में एक विशिष्ट काला शिखर (क्राउन), एक लंबी गर्दन और सफेद अंदरूनी हिस्से के साथ शरीर पीले-भूरे रंग का होता है।
    - मादाएं आम तौर पर छोटी होती हैं और उनमें काला शिखर (क्राउन) नहीं होता है।
    - उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक, जिसका वजन 10 से 15 किलोग्राम के बीच होता है।
    - यह मुख्य रूप से सर्वाहारी है।
- **संरक्षण स्थिति**
    - **IUCN स्थिति**: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**: अनुसूची I
    - **CITES**: परिशिष्ट 1
    - प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल।
    - जंगल में केवल 150 से कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं और विशेष रूप से भारत तक ही सीमित हैं।
- **खतरे:**
    - बिजली की लाइनें (दृश्यता में बाधा डालती हैं)
    - आवास विनाश और विखंडन तथा अतिचारण।
- **GIB के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम**:
    - **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम**: इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में रखा गया है।
    - **फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर**: फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर बिजली की लाइनों पर लगाए गए फ्लैप होते हैं। वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में काम करते हैं। पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बिजली की लाइनों से टकराने से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकते हैं।
    - **कृत्रिम हैचिंग (Artificial Hatching)**: जंगल से अंडे एकत्र करना और उन्हें कृत्रिम रूप से सेना।

UPSC PYQ

प्रश्न. भारत के 'मरु राष्ट्रीय उद्यान' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2020)

1. यह दो जिलों में विस्तृत है।
2. उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है।
3. यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

स्रोत: **Hindustan Times - GIB**

अंतर-संसदीय संघ की 150वीं बैठक

संदर्भ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित होने वाली अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 150वें बैठक के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (IPD) का नेतृत्व कर रहे हैं।

अंतर-संसदीय संघ के बारे में -

- **यह राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच संसदीय संवाद, कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देता है।**
- **स्थापना**: **1889 (पेरिस) में**, यह राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए विश्व का पहला स्थायी मंच था।
- **IPU के कार्यों में शामिल हैं**:
    - शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देना
    - आम चिंता के मुद्दों पर सांसदों के बीच सहयोग स्थापित करना
    - संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाना
- **सदस्यता**: इसमें 180 सदस्य और 15 सहयोगी सदस्य हैं।
- **मुख्य राजनीतिक निकाय**: आईपीयू का मुख्य राजनीतिक निकाय सभा (Assembly) है, जो वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। सभा में, विश्व भर के सांसद:
    - अच्छे अभ्यासों/तरीकों का आदान-प्रदान करते हैं।
    - वैश्विक मुद्दों पर संसदीय प्रस्तावों को अपनाते हैं।

स्रोत: News on Air - IPU

वॉम्बैट(Wombats)

संदर्भ

हाल ही में, एक शिशु वॉम्बैट (जॉय) को उसकी मां से अलग करने के फिल्मांकन से संबंधित एक घटना ने, वन्यजीवों के साथ दुर्व्यवहार और जंगली जानवरों के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करने के महत्व के संदर्भ में वैश्विक जागरूकता बढ़ा दी है।

वॉम्बैट के संदर्भ में -

- **यह आस्ट्रेलिया का एक छोटा, भारी भरकम जानवर है, जो लंबी, ठंडी सुरंगों (बिल) में भूमिगत रहता है।**
- **वॉम्बैट की तीन प्रजातियाँ हैं**: सामान्य वॉम्बैट, दक्षिणी बालदार नाक वाला वॉम्बैट, उत्तरी बालदार नाक वाला वॉम्बैट- गंभीर रूप से लुप्तप्राय।
- **यह रात्रिचर है** - मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है।
- **आहार: शाकाहारी –** ये मुख्यतः घास खाते हैं।
- इसके पास खुदाई (शिकार करने के लिए नहीं) करनें के लिए, अत्यधिक मजबूत पंजे होते हैं।
- वॉम्बैट एकमात्र ऐसा ज्ञात जानवर है, जो क्यूब के आकार का मल उत्पन्न करता है। यह उनकी आंतों की मांसपेशियों के आकार तथा लचीलेपन के कारण होता है।
- **वॉम्बैट मार्सुपियल्स हैं (मार्सुपियल्स ऐसे जानवर हैं, जो अपने बच्चों को थैली में रखते और पालते हैं)।**
- **अन्य मार्सुपियल्स:** कंगारू, कोआला, बैंडिकूट, वालाबी, तस्मानियाई डैविल आदि।
  - सभी मार्सुपियल्स में थैलियाँ नहीं होती हैं।

UPSC PYQ
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

- कथन-1: मार्सुपियल्स भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
- कथन-II: मार्सुपियल्स केवल पर्वतीय घास के मैदानों में ही पनप सकते हैं जहाँ कोई शिकारी न हो।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है**?**

(a) कथन-**I** और कथन-**II** दोनों सही हैं तथा कथन-**II** कथन-**I** का सही स्पष्टीकरण है।
(b) कथन-**I** और कथन-**II** दोनों सही हैं तथा कथन-**II** कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) कथन-**I** सही है लेकिन कथन-**II** गलत है।
(d) कथन-**I** गलत है लेकिन कथन-**II** सही है

उत्तर: **C**

स्रोत: [Times of India- Wombats]

समाचार संक्षेप में

टोपोलॉजिकल सामग्री(Topological Materials)

- टोपोलॉजिकल सामग्रियां विशेष सामग्रियां होती हैं, जो अंदर से इन्सुलेटर की तरह कार्य करती हैं किन्तु बाहर से धातु की तरह कार्य करती हैं। अर्थात-
  - **अंदर:** विद्युत् प्रवाहित नहीं हो सकती (प्लास्टिक या रबर की तरह)।
  - **सतह या किनारों पर:** विद्युत् आसानी से प्रवाहित हो सकती है (जैसे- किसी धातु के तार में)।
- यह असामान्य व्यवहार उनके "टोपोलॉजिकल" गुणों के कारण है- जिसका अर्थ है कि उनका विद्युत व्यवहार पदार्थ के ज्यामितीय और क्वांटम गुणों द्वारा संरक्षित है, न कि केवल इसकी रासायनिक संरचना द्वारा।
- इन सामग्रियों की सतही अवस्थाएं टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट द्वारा संरक्षित होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्थिर रहती हैं, भले ही सामग्री में थोड़ा परिवर्तन हो या उसमें कुछ अशुद्धियाँ हों।
- **अनुप्रयोग:** क्वांटम कंप्यूटिंग में अधिक स्थिर एवं त्रुटि-प्रतिरोधी क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - हाल ही में, Microsoft ने अपने क्वांटम चिप- मेजराना 1 में टोपोलॉजिकल सामग्रियों का उपयोग किया है।

स्रोत: The Hindu - Topological Materials

इंडोनेशिया कृषि के लिए विश्व की सबसे बड़ी वनों की कटाई की योजना बना रहा है

- इंडोनेशिया बेल्जियम के आकार के वनों को साफ करने की योजना बना रहा है, ताकि निम्नलिखित फसलें उगाई जा सकें:
  - गन्ना (बायोएथेनॉल के लिए)
  - चावल तथा अन्य खाद्य फसलें
- यह परियोजना, सरकार समर्थित "खाद्य एवं ऊर्जा संपदा" कार्यक्रम का हिस्सा है।
  - खाद्य संपदा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर किए जाने वाले वृक्षारोपण हैं।
- इसे विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान नियोजित वनों की कटाई का अभियान माना जाता है।
- इससे मूलनिवासी जनजातियों का व्यापक पैमाने पर विस्थापन भी होगा।
- **इंडोनेशिया की समृद्ध जैव विविधता:**
  - **इंडोनेशिया में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वर्षावन है।**
  - ओरंगउटान, हाथी, पापुआन कछुए और विशाल वन फूल (giant forest flowers) जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ।
  - 1950 से कुल वर्षावन हानि: ➤ 74 मिलियन हेक्टेयर (285,715 वर्ग मील) - जर्मनी के आकार का दोगुना।

स्रोत: Indian Express - Massive Deforestation

अंतर्राष्ट्रीय लेखा एवं रिपोर्टिंग मानक

- भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों(ISAR) पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह के लिए निर्विरोध चुना गया है।
- **कार्यकाल:** 2025–2027

ISAR के संदर्भ में -

- **ISAR संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जो वैश्विक लेखा एवं रिपोर्टिंग मानकों को बढ़ावा देती है।**
- इसे 1983 में ECOSOC(संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद) द्वारा बनाया गया था तथा

UNCTAD (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) द्वारा समन्वित किया गया था।
- उद्यम लेखा और रिपोर्टिंग में उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए, यह जिनेवा में अपने वार्षिक सत्र आयोजित करता है।
- **ISAR के उद्देश्य:**
  - कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग।
  - लेखा मानक।
  - पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रकटीकरण।

स्रोत: Times of India - ISAR

मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियां 2000–2023 रिपोर्ट

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों के एक समूह ने 2000 से 2023 के मध्य, मातृ मृत्यु प्रवृत्तियों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष -
- **2000** और **2023** के मध्य मातृ मृत्यु में **40%** की वैश्विक गिरावट।
- **2023** में**,** वैश्विक स्तर पर **2,60,000** मातृ मृत्यु हुईं।
- यह प्रत्येक **2** मिनट में **1** मातृ मृत्यु के बराबर है।
- नाइजीरिया, **75,000** मातृ मृत्यु (वैश्विक कुल का **28.7%)** के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

भारत की स्थिति -
- 2023 में, भारत में 19,000 मातृ मृत्यु (प्रति दिन- 52) दर्ज की गईं।
- वैश्विक मातृ मृत्यु में भारत का योगदान, 7.2% है।
- भारत में MMR 2000 में 362 से घटकर, 2023 में 80 हो गया।
  - इस अवधि में 78% की गिरावट।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)** = प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, मातृ मृत्यु की संख्या।

स्रोत: The Print - Mortality report

पालना योजना

- **इसे राष्ट्रीय क्रेच योजना को पुनर्गठित करके लाया गया था। इसे मिशन शक्ति की 'सामर्थ्य' उप-योजना के अंतर्गत लागू किया गया था।**
  - मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है।
- इसे बच्चों की देखभाल संबंधी गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करके कामकाजी माताओं का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **लक्ष्य**: **2025-26 तक देश भर में 17,000 क्रेच** स्थापित करना।
  - क्रेच एक, दिन में देखभाल करने वाला केंद्र होता है जो माता-पिता के काम करने के दौरान बच्चों के लिए एक सुरक्षित और पोषण वाला वातावरण प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आयु के अनुसार शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **नोडल मंत्रालय: महिला और बाल विकास मंत्रालय।**

मुख्य विशेषताएँ:
- **6 महीने से 6 वर्ष** के आयु उम्र के बच्चों के लिए दिन में देखभाल संबंधी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है**: सोने की सुविधा, प्रारंभिक प्रोत्साहन, पूर्वस्कूली शिक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण।
- **इस योजना के दो घटक हैं**: आंगनवाड़ी-सह-क्रेच और स्टैंडअलोन क्रेच।

स्रोत: PIB - Palna Scheme

संपादकीय सारांश

भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को आकार देना

संदर्भ
विश्व आर्थिक मंच की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 और क्यूएस के विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत के कार्यबल की स्थिति और भविष्य के लिए इसकी तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

भारत की कार्यबल तैयारी पर रिपोर्ट की मुख्य अंतर्दृष्टि -
- **प्रमुख व्यवधान अपेक्षित:** वैश्विक श्रम बाजार प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई, आर्थिक बदलाव और भू-राजनीतिक परिवर्तनों से आकार लेंगे।
  - 2030 तक 170 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं, लेकिन 92 मिलियन नौकरियाँ अप्रचलित हो सकती हैं।
- **कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है:**
  - 59% कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से:
    - विश्लेषणात्मक सोच
    - लचीलापन
    - तकनीकी साक्षरता
  - उच्च विकास भूमिकाओं में एआई इंजीनियर और बिग डेटा विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **भारत की ताकत:**
  - एआई और हरित कौशल तैयारी में विश्व स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया।
  - 'कार्य का भविष्य' (भविष्य-केंद्रित कौशल की पहचान करने और भर्ती करने की क्षमता) में **99.1** अंक प्राप्त किए।
- **पहचाने गए अंतराल: 'कौशल फिट'** में कमजोर प्रदर्शन (स्कोर 59.1): उपलब्ध कार्यबल कौशल और नौकरी बाजार की मांग के बीच बेमेल।
  - खराब शैक्षणिक तत्परता (विश्व स्तर पर 26वें स्थान पर)।
  - भविष्योन्मुखी नवाचार और स्थिरता में चिंताजनक रूप से कम स्कोर (15.6/100)।
  - अनुसंधान एवं विकास में अपर्याप्त निवेश हरित प्रौद्योगिकियों और नवाचार में भारत की बढ़त में बाधा डालता है।

भारत के लिए अवसर -
- **पाठ्यक्रम सुधार:** रचनात्मकता, समस्या समाधान, उद्यमशीलता और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केन्द्रित करना।
  - अंतःविषयक और अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल (जैसे, डिजाइन थिंकिंग, हैकथॉन) का उपयोग करना।
- **हरित एवं सतत शिक्षा:** हरित पाठ्यक्रम लागू करना तथा सततता अनुसंधान के लिए केन्द्र बनाना।
  - सामुदायिक स्तर पर विद्यार्थियों के नेतृत्व वाली पर्यावरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
- **अकादमिक-उद्योग संबंधों को मजबूत करना:**
  - उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना।
  - इंटर्नशिप, कौशल केंद्र और मार्गदर्शन कार्यक्रमों को सक्षम बनाना।
  - बाजार-तैयार दक्षताओं के साथ संरेखित करना।
- **संकाय और बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** संकाय विकास, अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और शिक्षण नवाचार में निवेश करना।
  - डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
- **सरकार की भूमिका:** कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में निवेश बढ़ाना।

- एक गतिशील और भविष्य-तैयार उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक सक्षम नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं।

स्रोत: **The Hindu: Shaping a future-ready workforce**

निष्पक्ष सीट आवंटन का मुद्दा

संदर्भ

नई जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन को लेकर चल रही बहस को सार्वजनिक चर्चा में व्यापक रूप से परिसीमन के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।

परिसीमन क्या है?

परिसीमन से तात्पर्य चुनावी उद्देश्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर से तय करने के कार्य से है। यह परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन जनगणना के बाद ही। यह जनसंख्या परिवर्तन के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करके निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करता है।

लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन की प्रक्रिया क्या है?

- **संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों को पुनः समायोजित किया जाना है।**
- हालाँकि, 1971 की जनगणना (जनसंख्या: 54.79 करोड़) के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर है, और एक संवैधानिक संशोधन के अनुसार 2026 तक ऐसा ही रहेगा।
- 2025 तक, जनसंख्या बढ़कर अनुमानित 141 करोड़ हो गई है, जो जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सीट समायोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

उत्तर-दक्षिण जनसंख्या विरोधाभास -

- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में अप्रभावी परिवार नियोजन के कारण असामान्य रूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि देखी गई:
  - **उत्तर प्रदेश**: 8.38 करोड़ (1971) → 24.1 करोड़ (2025)
  - **बिहार**: 4.21 करोड़ (1971) → 13.1 करोड़ (2025)
- केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया, तथा उनकी वृद्धि दर कम रही।
  - **केरल**: 2.14 करोड़ (1971) → 3.6 करोड़ (2025)

दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे -

- दक्षिणी नेताओं को डर है कि यदि सीटों का समायोजन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया गया तो वे अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व खो देंगे।
- एक सख्त जनसंख्या-आधारित फार्मूला उच्च जनसंख्या वृद्धि (नीतिगत विफलता के कारण) वाले राज्यों को पुरस्कृत करेगा, जिससे उन्हें असमानुपातिक शक्ति मिलेगी।
- उदाहरण के लिए:
  - उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 240 हो सकती है।
  - सफल शासन के बावजूद केरल की सीटें 20 से बढ़कर 36 सकती है।

आदर्श समाधान सुझाया गया -

- केरल की 68% जनसंख्या वृद्धि को सभी राज्यों के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करना।
- संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी राज्यों में समान रूप से लोकसभा सीटों में 68% की वृद्धि करना।
  - उत्तर प्रदेश: 80 → 134 सीटें
  - केरल: 20 → 34 सीटें
  - तमिलनाडु: 39 → 66 सीटें
- इस दृष्टिकोण से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 912 हो जाती है, संघीय समानता बनी रहती है तथा जनसंख्या नियंत्रण में सफल होने वाले राज्यों को दंडित नहीं किया जाता है।

- यद्यपि यह अनुच्छेद 81(2)(a) (समान जनसंख्या-से-सीट अनुपात) से विचलित है, फिर भी समानता और संघीय निष्पक्षता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है।

स्रोत: **The Hindu: A Case For Fair Seat Allocation**

निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण

संदर्भ

निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षण लागू करने की अवधारणा लंबे समय से लंबित है।

निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (PHEI) में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ती शैक्षिक असमानता को संबोधित करना:** उच्च शिक्षा "प्रभावी रूप से बनाए रखी गई असमानता" का एक उपकरण बन गई है, जहां उच्च जाति और उच्च वर्ग के समूह पहुंच के विस्तार के बावजूद अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं।
- **निजीकरण ने एक विशिष्ट स्थान का निर्माण किया है:** अभिजात वर्ग निजी संस्थानों की ओर पलायन कर रहा है जो बेहतर बुनियादी ढांचे और संकाय प्रदान करते हैं, जबकि सार्वजनिक संस्थान भीड़भाड़ वाले और अपर्याप्त वित्तपोषित रह गए हैं।
- **पहुंच में विद्यमान असमानता:** निजी विश्वविद्यालयों में हाशिए पर पड़े समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम) का प्रतिनिधित्व बहुत कम है:
  - अनुसूचित जाति: **6.8%** (बनाम ~17% जनसंख्या)
  - एसटीएस: **3.6%** (बनाम ~9%)
  - ओबीसी: **24.9%** (बनाम ~45-50%)
  - मुसलमान: **3.8%** (बनाम ~15%)
  - इसके विपरीत, निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में उच्च जाति के हिन्दू (लगभग 20% जनसंख्या) 60% से अधिक हैं।
- **सार्वजनिक संस्थान अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं और उनका मूल्यांकन कम है**: सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान, जो आरक्षण मानदंडों का पालन करते हैं, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं, उनमें पर्याप्त धन नहीं है, तथा कर्मचारियों की कमी है।
- इन्हें तेजी से "टाइम पास" के स्थल के रूप में देखा जाने लगा है, जिनमें गुणवत्ता और नौकरी की संभावनाओं का अभाव है।
- **जहां आरक्षण लागू है, वहां यह कारगर है:** सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में (जहां आरक्षण अनिवार्य है), प्रतिनिधित्व काफी अधिक है:
  - एससी: 14.6%
  - एसटी: 6%
  - ओबीसी: 31.2%
  - इससे पता चलता है कि कोटा आधारित सकारात्मक कार्रवाई प्रभावी है।
- **कानूनी समर्थन पहले से मौजूद है: 93 वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 15(5))** और उसके बाद के **सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों (2011, 2014)** ने गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे इसका कार्यान्वयन कानूनी रूप से स्वीकार्य हो गया है।

टिप्पणी:
PHEIs में शामिल हैं:
- राज्य निजी विश्वविद्यालय
- निजी डीम्ड विश्वविद्यालय
- सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी कॉलेज

PHEIs में आरक्षण का समर्थन करने वाला कानूनी ढांचा -

- **93वां संविधान संशोधन (2005)**:
  - **अनुच्छेद 15(5)** जोड़ा गया।

- **राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।**

- **केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006**: इसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों तक सीमित है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय**:
    - **अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)**: राज्य संचालित/राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा।
    - **आईएमए बनाम भारत संघ (2011)**: दो न्यायाधीशों की पीठ ने गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में आरक्षण को बरकरार रखा।
    - **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)**: पांच न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त बात की पुष्टि की।

क्या किया जाना चाहिए?

- **सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को मजबूत करना:** सार्वजनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना।
    - नियमित संकाय रिक्तियों को भरना।
    - व्यावसायिक स्वायत्तता और अद्यतन पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना
    - बुनियादी ढांचे और प्रशासन में सुधार।
- **निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करना:** निजी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों) में राष्ट्रीय आरक्षण नीति (एससी, एसटी और ओबीसी के लिए) लागू करना।
    - विनियामक आदेशों और विधायी कार्रवाई के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- **निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति अनिवार्य करना:** निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को एक निश्चित अनुपात में निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
    - इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ और समावेशी हो सकेगी।
- **कानूनी समर्थन का उपयोग करना:** 93वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 15(5)) का लाभ उठाएं जो निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आरक्षण की अनुमति देता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (2011, 2014) का संदर्भ लें, जिनमें ऐसे आरक्षणों की वैधता को बरकरार रखा गया है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्रवाई:** मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाएं।
    - जनमत जुटाना और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना।
    - पार्टी घोषणापत्र, संसदीय बहस और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से नीति कार्यान्वयन पर जोर देना।
- **पहुंच में असमानता को दूर करना:** कुलीन निजी संस्थानों और भीड़भाड़ वाले, अल्प वित्तपोषित सार्वजनिक संस्थानों के बीच बढ़ती खाई को पाटना।
    - यह सुनिश्चित करना कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

निष्कर्ष

कानूनी मंजूरी, दीर्घकालिक राजनीतिक समर्थन और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए, शिक्षा में वास्तविक, प्रभावी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षण की लंबे समय से आवश्यकता थी।

स्रोत: Indian Express: An Incomplete Social Justice

विस्तृत कवरेज

कांचा गाचीबोवली वन (KGF)

संदर्भ

कई सप्ताह से हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट 400 एकड़ का कांचा गाचीबोवली वन, हैदराबाद के शहरी विकास को लेकर लड़ाई का केंद्र बना हुआ है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय के अनुसार कांचा गचीबोवली विश्वविद्यालय के मूल परिसर की भूमि का हिस्सा है, जिसे 1974 में प्रदान किया गया था।
- सरकार इस दावे से इनकार करती है।
- हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भूमि की नीलामी करने और वन क्षेत्र को साफ करने का फैसला किया है।

कांचा गाचीबोवली वन (KGF) का महत्व -

- **हैदराबाद का "ग्रीन लंग":** वायु गुणवत्ता में सुधार और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका के कारण KGF को अक्सर शहर का **"ग्रीन लंग"** कहा जाता है।
- **शहरी परिवेश में जैव विविधता हॉटस्पॉट:** यह फूलदार पौधों की 734 से अधिक प्रजातियों, स्तनधारियों की 10 प्रजातियों, सरीसृपों की 15 प्रजातियों और पक्षियों की 220 प्रजातियों का घर है।
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत 27 पक्षी प्रजातियाँ** संरक्षित हैं।
    - 2023 की भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट में **32 प्रजातियों को उच्च संरक्षण प्राथमिकताओं** के रूप में चिह्नित किया गया है।

कांचा गाचीबोवली में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियाँ -

- **वृक्ष तना मकड़ी (मुरीशिया हैदराबादेंसिस):** एक स्थानिक प्रजाति जो विश्व में अन्यत्र नहीं पाई जाती।
- **भारतीय रोलर**: तेलंगाना का चमकीला नीला राज्य पक्षी।
- **ओरिएंटल स्काईलार्क**: अपने मधुर गीत के लिए जाना जाता है।
- **मॉनिटर छिपकली:** खाद्य जाल में कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण।
- **कांस्य-पीठ वाला वृक्ष साँप**: यह इस क्षेत्र का मूल निवासी एक विषहीन साँप है।
- **वन की ज्वाला (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा):** एक जीवंत देशी वृक्ष प्रजाति।

- **जलवैज्ञानिक महत्व:** मंजीरा बेसिन के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित यह वन निम्नलिखित में मदद करता है:
    - शहरी बाढ़ को रोकना
    - मीठे पानी की झीलों को पुनः भर देना (जैसे, पीकॉक झील और बफ़ेलो झील)
- **जलवायु विनियमन:** वन प्राकृतिक जलवायु नियामक के रूप में कार्य करते हैं, शहरी गर्मी को कम करते हैं और वायु गुणवत्ता में योगदान देते हैं।

कांचा गाचीबोवली वन (KGF) के वनों की कटाई का प्रभाव -

- **जैव विविधता की हानि:** KGF के वनों की कटाई से वहां रहने वाली प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से उन्हें खतरा है।

- **पड़ोसी क्षेत्रों में जलवायु व्यवधान:** वनों के विनाश से तेलपुर, नल्लागंदला और गाचीबोवली जैसे क्षेत्रों में स्थानीय तापमान 1-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे शहरी ताप द्वीप प्रभाव और भी खराब हो सकता है।

शहरी ऊष्मा द्वीप (**UHI**) प्रभाव तब होता है जब शहरों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव होता है, जिसका कारण वनस्पति में कमी, सघन बुनियादी ढांचा और मानवीय गतिविधियां हैं।

- **सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का उल्लंघन:** पर्यावरणविदों का तर्क है कि KGF की नीलामी सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का उल्लंघन है, जो सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और रखरखाव करने का आदेश देता है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** इस जंगल को नष्ट करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापित जानवर शहरी क्षेत्रों में भोजन और आश्रय की तलाश करेंगे।
- **प्रदूषण में वृद्धि:** इस हरित आवरण को हटाने से शहर की वायु को फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है।
- **पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन:** कार्यकर्ताओं का तर्क है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किए बिना या पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना संरक्षित प्रजातियों वाली वन भूमि को साफ करना पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।

वनों की कटाई के खिलाफ प्रमुख आंदोलन -

- **1730 में, राजस्थान के खेजड़ली गांव की अमृता देवी ने जोधपुर के महाराजा के पेड़ों को काटने के आदेश का साहसपूर्वक विरोध किया।**
  - जब वह और उनकी बिश्नोई जनजाति के 363 सदस्य विरोध स्वरूप पेड़ों से लिपट गए तो उन्हें क्रूरतापूर्वक मार दिया गया।
  - इस बलिदान के कारण महाराजा ने क्षेत्र में वृक्ष-कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **साइलेंट वैली आंदोलन (1973-198:5)**: जैव विविधता की रक्षा के लिए केरल में एक जलविद्युत परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
- **चिपको आंदोलन (1973)**: वनों की कटाई के खिलाफ उत्तराखंड में एक जमीनी स्तर का आंदोलन।
- **भोपाल गैस त्रासदी (1984)**: एक प्रमुख औद्योगिक आपदा जिसने पर्यावरण नियमों पर चर्चा को तेज कर दिया।
- **बक्सवाहा वन हीरा खदान विरोध (2021)**: हीरा परियोजना के लिए बक्सवाहा जंगल में 200,000 से अधिक पेड़ों को काटे जाने की उम्मीद थी।
  - इसके परिणामस्वरूप व्यापक विरोध प्रदर्शन, कानूनी चुनौतियां और सोशल मीडिया अभियान चलाए गए, जिनका उद्देश्य परियोजना को रोकना और बक्सवाहा वन की रक्षा करना था।
- **नांदगांव सौर संयंत्र विरोध (2025):** महाराष्ट्र के नांदगांव में स्थानीय किसानों ने टाटा पावर के प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर विकास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
  - किसान, जो पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती कर रहे थे, इस परियोजना को कॉर्पोरेट द्वारा भूमि हड़पने की कोशिश के रूप में देख रहे थे, जिसके कारण कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया और परियोजना की प्रगति रुक गई।

KGF के विनाश के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** समर्थकों का तर्क है कि 400 एकड़ भूमि को विकसित करने से आईटी बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और टिकाऊ शहरी स्थान का निर्माण होगा, जो हैदराबाद के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
- **राजस्व सृजन:** तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (टीजीआईआईसी) का अनुमान है कि भूमि की नीलामी से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न हो सकता है, जो अनुमानित 28,000 करोड़ रुपये है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा।

- इसके अलावा, इससे 50,000 करोड़ रुपये का संभावित निवेश आकर्षित होगा तथा 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

- **प्रमुख विशेषताओं का संरक्षण:** TGIIC ने कहा है कि मशरूम रॉक संरचना जैसी उल्लेखनीय प्राकृतिक विशेषताओं को विकास लेआउट के भीतर हरित स्थानों के रूप में संरक्षित किया जाएगा, जो पर्यावरणीय विचारों के साथ विकास को संतुलित करने के प्रयास का सुझाव देता है।

शहरी केंद्रों में विकास पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है

- **वनों की कटाई और आवास की हानि:** शहरों, उद्योगों और कृषि के विस्तार से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है।
    - परिपक्व वृक्ष महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं (कार्बन अवशोषण, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों के लिए आवास, सूक्ष्म जलवायु विनियमन) जिन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
    - **उदाहरण**: मेट्रो परियोजना के लिए आरे वन (मुंबई) की मंजूरी के कारण विरोध प्रदर्शन हुआ।
- **वायु और जल प्रदूषण:** औद्योगीकरण और शहरीकरण से वायु प्रदूषण (CO_2, PM2.5, NOx उत्सर्जन) बढ़ता है।
    - अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण जल निकाय दूषित हो जाते हैं।
    - **उदाहरण**: सफाई प्रयासों के बावजूद गंगा और यमुना नदियाँ गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग:** उद्योगों, परिवहन और बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है।
    - इससे तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाएं होती हैं।
    - **उदाहरण**: भारत में हीटवेव (2023) शहरी विस्तार के कारण जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है।
- **मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण:** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, खनन और वनों की कटाई से मृदा की उर्वरता कम हो रही है।
    - शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो जाती है।
    - **उदाहरण**: राजस्थान में अत्यधिक चराई और वनों की कटाई के कारण थार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।
- सिंचाई, उद्योगों और शहरी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक जल निष्कर्षण से भूजल का स्तर कम हो जाता है।
    - बांध और नदी मार्ग परिवर्तन से प्राकृतिक जल प्रवाह और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।
    - **उदाहरण**: बैंगलोर और चेन्नई को भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
- **मूल निवासियों की आजीविका का नुकसान:** बांध, राजमार्ग और खनन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को विस्थापित करती हैं।
    - खेती और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित होते हैं।
    - **उदाहरण**: हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़) कोयला खनन परियोजना से आदिवासियों की भूमि और जंगलों को खतरा है।
- **प्रतिस्थापन चुनौतियां:** शमन के रूप में "10 गुना अधिक पेड़ लगाने" की प्रथा भ्रामक है क्योंकि पुनः लगाए गए पेड़ अक्सर परिपक्व पेड़ों के पारिस्थितिक मूल्य से मेल नहीं खा सकते हैं।
    - प्रतिस्थापन वृक्ष आवरण की गणना और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में वैज्ञानिक दृढ़ता का अभाव है।
- **आर्द्रभूमियों का नुकसान:** वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (WISA) के अनुसार , भारत पिछले चार दशकों में अपने एक तिहाई आर्द्रभूमियों को खो चुका है, जिसका मुख्य कारण शहरीकरण और प्रदूषण है।
- **शासन में खामियां**: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) , वन संरक्षण अधिनियम (1980) और ईआईए (पर्यावरण प्रभाव आकलन) जैसे कानून मौजूद हैं।
    - हालाँकि, उद्योगों के पक्ष में पर्यावरण संबंधी नियमों को कमजोर करने से अक्सर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है।

कांचा गाचीबोवली वन का भविष्य क्या है?

- **सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला (16 अप्रैल):** सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक पर्यावरणविदों के लिए एक अस्थायी जीत है। आगामी सुनवाई यह निर्धारित करेगी कि क्या जंगल को दीर्घकालिक

कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और क्या आगे के विकास से पहले एक **स्वतंत्र पारिस्थितिक मूल्यांकन** अनिवार्य बनाया जाएगा।

- **जमीनी स्तर पर आंदोलनों को मजबूत करना:** छात्रों, पारिस्थितिकीविदों और नागरिकों द्वारा संचालित आंदोलन जोर पकड़ रहा है। प्रतीकात्मक कार्य - जैसे पेड़ों पर पवित्र धागे बांधना और पौधे लगाना - केवल विरोध प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिक प्रतिबद्धता की घोषणाएँ हैं। इस तरह की नागरिक भागीदारी नीति को प्रभावित कर सकती है और भविष्य में पर्यावरण सक्रियता को प्रेरित कर सकती है।
- **शहरों में प्रभाव:** कांचा गाचीबोवली से प्रेरित होकर, वारंगल, विशाखापत्तनम और दिल्ली में भी इसी प्रकार का पर्यावरण-प्रतिरोध उभर रहा है , जो पूरे भारत में व्यापक शहरी पारिस्थितिक जागृति का संकेत देता है।
- **पारिस्थितिक शहरी नियोजन के लिए प्रयास:** इस मामले ने शहरी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले वैज्ञानिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है । यह भारत के शहरी नियोजन ढांचे में पारिस्थितिक संवेदनशीलता को शामिल करने के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में काम कर सकता है।
- **भारतीय शहरों के लिए एक नया आख्यान:** प्रतिरोध केवल बुलडोजरों को रोकने के बारे में नहीं है - यह प्रगति को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। आगे की दृष्टि ऐसी है जहाँ शहरों को प्रकृति और लोगों के बीच सह-अस्तित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्थिरता, देखभाल और समुदाय पर आधारित है।

स्रोत: The Hindu: Will withdraw police from university, not Kancha Gachibowli, says Telangana govt.